

2018/00221

फर्द अहकाम  
(नियम-26)

न्याय आपके द्वार 2018

अज अदालत

उप जिला कलक्टर

मुकाम

रायसिंहनगर

मुशील कमा 51-लक्ष्मी नारायण  
वा-श्यामिधामा बनाम लखन

किस्म मुकदमा दुरुस्ती मुकदमा नं. 82/18  
18/5/18

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
18/5/18	<p>आज यह पत्रावली तहसीलदार (भू.अ.) रायसिंहनगर के पत्र क्रमांक/18/169 दिनांक 18/5/18 के द्वारा राजस्व लोक अदालत "न्याय आप के द्वार-2018" कैम्प कोर्ट ग्राम पंचायत में प्रार्थीगण के नाम चक 145AD की जमाबन्दी सम्वत् 2068-72 के खाता नं. 11 में खातेदार मुशील कमा 51-लक्ष्मी नारायण वा-श्यामिधामा बाँसा अंकित है। जिसका नाम लक्ष्मी नारायण है। जिसकी मुशील कमा 51-लक्ष्मी नारायण के नाम पर मुशील कमा 51-लक्ष्मी नारायण की दुरुस्ती की जाने की अभिशंषा की है।</p> <p>उक्त प्रकरण में तहसीलदार(भू.अ.) रायसिंहनगर की रिपोर्ट दिनांक 18/5/18 की पृष्टि मजमआम में उपस्थित ग्राम वारिसान व सरपंच ने की है। उक्त विवेचन के आधार पर वाके चक 145AD के खाता नं. 11 में दर्ज खातेदार मुशील कमा 51-लक्ष्मी नारायण वा-श्यामिधामा बाँसा की दुरुस्ती की जाती है। बाकी अंकन बदस्तुर रहेगा। इसी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में दुरुस्ती की जावे। इसी आशय का आदेश तहसीलदार के नाम जारी हो। पत्रावली दर्ज रजिस्टर होकर फौंसले में शुमार होकर दाखिल दफतर हो।</p> <p>आदेश खुले मजमआम में सुनाया गया।</p>	

उप जिला कलक्टर  
राजस्व लोक अदालत  
न्याय आपके द्वार-2018  
कैम्प कोर्ट 18/5/18